

अपंग कर्मचारी अथवा उसके अपंग बच्चा है तो निम्न सुविधा मिलेगी

1 ट्रांसफर में छूट

2 स्वेक्षा ट्रांसफर

2 उसी स्थान पर काम करने की सुविधा।

अन्य आदेश

UN no28-1/2013/SCT(SG)pt/490 dt 9.9.15

अपंग कर्मचारी को साल में 4 CL Extra दी जाये,अपंगों के सेमिनार आदि अटेंड करने के लिए। उस जगह रखें जहाँ वो सविधा जनक तरीके से काम कर सके। यदि जरूरत हो तो wheel chairs आदि दी जाये।कान ,आँखों के लिये लेटेस्ट उपकरण दिए जाये।

अन्य आदेशों में -

जबरन VRS /CRS न दिया जाये 60 साल की उम्र तक नोकरी करने दी जाये। विभागीय आवास आवंटन में प्राथमिकता।

~ KS THAKUR ACS

Nfte union & DS BHOPAL5.3.16